(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2583 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-06-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 749/2016 अपील.

---

1. भोगीराम पुत्र श्री करन सिंह
2. शोभाराम पुत्र श्री करन सिंह
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भोगीराम
4. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भोगीराम
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भोगीराम
6. सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री शोभाराम

समस्त निवासीगण- ग्राम बड़ागांव परगना व जिला ग्वालियर
द्वारा रामजीलाल कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व. श्री रेवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ,
आयु 66 वर्ष, व्यवसाय- व्यापार, निवासी- नयापुरा,
जीवाजीगंज रेल्वे स्टेशन के पास, ए.बी. रोड, ग्वालियर (म.प्र.) .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा अपर कलेक्टर,
जिला ग्वालियर, म.प्र. .....अनावेदक

श्री पल्लव त्रिपाठी, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रखर ढेगुला, अभिभाषक, अनावेदक

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 28-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पटवारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुरार, जिला ग्वालियर के इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बडागांव स्थित सर्वे क्रमांक 912 रकबा 0.387 हैक्टेयर, 927/1 रकबा 0.878 हैक्टेयर पर आवेदक क्रमांक 1 व 2, सर्वे क्रमांक 927/2, 928 रकबा 0.460 हैक्टेयर पर अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 6 के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की है। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नजूल विभाग ग्वालियर से दिनांक 16.08.2000 को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया है तथा प्रश्नाधीन भूमि का अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/2011-12/172 (1) आदेश दिनांक 14.08.2012 को डायवर्सन भी करा दिया गया है, किन्तु आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर पक्की सड़क डालकर एवं बिजली के खम्भे खड़े कर लाईन डालकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जबकि आवेदकगण के पास कॉलोनाईजर लाईसेंस तथा टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग का नक्शा नहीं है। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के डायवर्सन आदेश दिनांक 14.08.2012 की शर्त क्रमांक 2, 9 एवं 10 का उल्लंघन किया जाकर अवैध प्लॉटिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी मुरार द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2014-15/172 (5) पंजीबद्ध कर दिनांक 26.11.2015 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों को यथा स्वरूप में लाये जाने का आदेश देते हुए आवेदकगण पर 6,64,125/- रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 07.06.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.06.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम बड़ागांव स्थित सर्वे क्रमांक 912 रकबा 0.387 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 927/1 रकबा 0878 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 927/2, 928 रकबा 0.460 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कलेक्टर, नजूल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका विधिवत आवासीय उपयोग हेतु डायवर्सन कराया जाकर विकास कार्य कराया गया। उक्त डायवर्सन आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ

ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 5274/2011 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2012 के अनुपालन में आवेदकगण को प्रदाय किया गया था।

(2) उपरोक्त आदेश दिनांक 20.04.2012 से व्यथित होकर शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ के समक्ष रिट अपील क्रमांक 657/2012 प्रस्तुत की गई, जिसमे आदेश दिनांक 21.01.2013 पारित किये जाकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में पारित आदेश एवं उक्त आदेश के अनुपालन में पारित किये गये अन्य आदेशों को निरस्त किया गया। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में जारी डायवर्सन आदेश दिनांक 16.08.2012 माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा आदेश दिनांक 21.01.2013 से निरस्त किया गया।

(3) वर्तमान प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18.05.2015 अंतर्गत धारा 172 (5) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता का जारी किया गया। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा समाप्त किये गये डायवर्सन आदेश की कण्डिकाओं के उल्लंघन हेतु जारी किया गया, जबकि स्वयं अनुविभागीय अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई रिट अपील में अनावेदक क्रमांक 5 थे, ऐसी दशा में निम्न विचारणीय बिन्दु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हेतु प्रस्तावित है-

a) क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की युगलपीठ द्वारा रिट अपील क्रमांक 657/2017 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 जो कि स्वयं अनुविभागीय अधिकारी की अपील में पारित किया गया था, के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी को उक्त शून्यवत डायवर्सन आदेश के उल्लंघन हेतु धारा 172(5) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता थी?

b) क्या अनुविभागीय अधिकारी, अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी, अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही का सत्यापन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है?

c) क्या अनुविभागीय अधिकारी को विधि में प्रावधित उपबंधों से ऊपर उठकर कार्यवाही करने की अधिकारिता है?

(4) मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-30/2011/18-3 दिनांकित 06.09.2013 के द्वारा मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए शहरी क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा अन्य क्षेत्र में संबंधित जिले के कलेक्टर को अधिकृत

किया गया है। उपरोक्त दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी किये जाने के उपरांत क्या अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर तथा अपर आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही वैध व उचित है, जबिक उक्त परिपत्र के तारतम्य में आवेदकगण का नियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी आयुक्त, नगर पालिका निगम के समक्ष दिनांक 12.09.2013 से आज दिनांक तक लंबित होकर विचाराधीन है।

(5) यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा रिट अपील क्रमांक 657/2012 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 से डायवर्सन आदेश समाप्त किये जाने के आदेश के उपरांत भी राजस्व अधिकारियों द्वारा डायवर्जन आदेश के तारतम्य में मांग पत्र दिनांक 31.03.2017 भेजना एवं उक्त तारतम्य में अचल सम्पत्ति की कुर्की आदेश जारी कर प्रार्थी से डायवर्सन टैक्स की वसूली की गई। क्या उक्त वसूली माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आती है और राजस्व अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही करने की अधिकारिता है।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा डायवर्सन आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों को यथारूप लाये जाने एवं आवेदकगण पर शास्ति अधिरोपित करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14-8-2012 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-4-2012 के पालन में आवेदकगण की शर्तों के अधीन डायवर्सन की अनुमति दी गई थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के संदर्भ में आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । आवेदकगण द्वारा डायवर्सन अनुमति की शर्त क्रमांक 2, 9 एवं 10 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण द्वारा धारित भूमि को यथा स्वरूप में लाये जाने एवं आवेदकगण पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने का

आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधि संगत पाते हुए अपर कलेक्टर द्वारा स्थिर रखा गया है और अपर आयुक्त द्वारा भी विवेचना उपरांत विधिसंगत आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखा गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार अमान्य किये जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-06-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर